

बिहार विधान परिषद

(200वां बजट सत्र)

Short Notice Questions For Written Answers

11 मार्च, 2022

[शिक्षा - खान एवं भूतत्व - कला, संस्कृति एवं युवा विज्ञान एवं प्रावैधिकी].

Total Short Notice Question- 12

धरोहर की मरम्मत

*9 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):

क्या पर्यटन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला का राजनगर स्थित ऐतिहासिक किला खंडहर में तब्दील हो गया है;

(ख) क्या यह सही है कि इस परिसर में बने राजमहल, विभिन्न मंदिर तथा किला दूर से ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि किला परिसर में बने नौलखा महल, हाथी महल, कामाख्या मंदिर, गिरजा मंदिर स्फटिक से निर्मित भव्य काली मंदिर एवं अन्य धरोहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पर्यटन की दृष्टि से उक्त किला के साथ अन्य धरोहरों के खंडहर स्वरूप की मरम्मती कराकर उन्हें जीवंत बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पेंशन योजना का लाभ

*59 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि —

(क) क्या यह सही है कि पंचायती राज तथा नगर निकाय संस्थानों के द्वारा नियुक्त/कार्यरत शिक्षकों हेतु राज्यकर्मियों की भांति वित्तीय उन्नयन, स्वास्थ्य बीमा सुविधा तथा पेंशन योजना के लाभ का प्रावधान नहीं किया गया है, जिसके कारण शिक्षकों में काफी असंतोष है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रश्नांकित कोटि के शिक्षकों को राज्यकर्मियों के समरूप सारी सुविधाएं/लाभ मुहैया कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

विसंगति दूर कबतक

*60 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि —

(क) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या — 1530, दिनांक — 11.08.2015, विभागीय पत्रांक — 1816, दिनांक — 12.11.2021 तथा विभागीय पत्रांक — 1174, दिनांक — 30.12.2021 में पंचायती राज/नगर निकाय संस्था के शिक्षकों की वेतन विसंगतियों से संबंधित लिखित आपत्तियों के बावजूद, उसका समाधान अब तक नहीं हो सका है;

(ख) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के द्वारा उक्त विसंगति के निराकरण के पश्चात् ही वेतन निर्धारण संबंधी साफ्टवेयर/ऑनलाइन केलक्युलेटर तैयार किया जाना था;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इन गंभीर विसंगतियों को कबतक दूर करना चाहती है, नहीं तो क्यों?

लाइब्रेरियन की बहाली कबतक

*61 प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि —

(क) क्या यह सही है कि पटना वीमेंस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को तीन वर्षों से किताबें नहीं दी जा रही हैं क्योंकि लाइब्रेरियन पम्मी रानी मिश्रा 2016 में रिटायर हो गयी

तब से लाइब्रेरी बन्द है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लाइब्रेरियन की बहाली कर नियमित रूप से छात्राओं को किताबें मुहैया कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अविलंब बहाल

*62 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि —

(क) क्या यह सही है कि श्रीमती लालती कुमारी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, टिकर हिन्दी, प्रखंड - अतरी, जिला — गया का टोला सेवक के पद पर दिनांक — 08.05.17 को बिना मेधा सूची में नाम रहे अवैध रूप से चयन कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि श्रीमती लालती कुमारी की दो जन्म तिथि प्रमाण-पत्र क्रमशः : 03.02.1994 ई० एवं 03.12.1995 ई० है तथा मतदाता सूची एवं आवासीय प्रमाण-पत्र के आधार पर उस इलाके की भी नहीं है साथ ही एक भुईया जाति का नियोजन पूर्व में दिनांक — 05.01.2010 को हो भी चुका है;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार सरकार के पत्रांक - 1370, दिनांक — 23.07.18 की मार्गदर्शिका में स्थानीय को ही टोला सेवक में बहाल करने का जिक्र है;

(घ) क्या यह सही है कि मा० उच्च न्यायालय, पटना के C.W.J.C. No — 16864/2017 में पारित आदेश के आलोक में दिनांक — 08.05.17 की मेधा सूची में श्रीमती लालती कुमारी की फर्जी बहाली को निरस्त करते हुए दिनांक — 15.11.14 की मेधा सूची में क्रमांक — 2 पर अंकित श्रीमती सविता कुमारी जो रविदास जाति से है को बहाल करने की अनुशंसा प्राप्त है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'घ' में अंकित श्रीमती लालती कुमारी, टोला सेवक की फर्जी बहाली को निरस्त करते हुए श्रीमती सविता कुमारी को टोला सेवक के पद पर अविलंब बहाल करना चाहती है?

विद्यालय की गुणवत्ता

***63 श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि —

(क) क्या यह सही है कि बिहार सरकार ने पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए राज्य के सभी जिलों में पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या यह सही है कि विगत में समुदाय आधारित जो आवासीय विद्यालय बने हैं उनकी गुणवत्ता उन विद्यालयों की तुलना में संतोषजनक नहीं है जो आवासीय विद्यालय सभी समुदाय के लिए चल रहे हैं। नेतरहाट, सिमुलतला, नवोदय आवासीय विद्यालय जो सभी समुदायों के लिए हैं, ने अपनी गुणवत्ता स्पष्ट रूप से स्थापित की है, वहीं समुदाय आधारित विद्यालय अपनी गुणवत्ता स्थापित नहीं कर पाए हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या पूर्व के अनुभव के आधार पर सरकार इन विद्यालयों में जो सिर्फ पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए बन रहे हैं, उनमें सभी वर्ग की छात्राओं का प्रवेश सुनिश्चित करने का विचार रखती है जिससे कि इन विद्यालयों की गुणवत्ता स्थापित हो सके ?

वेतन का भुगतान

***64 श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि —

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा जिले के अलीनगर प्रखंड के हनुमान नगर स्थित प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत पंचायत शिक्षिका, श्रीमती सुगन्धा कुमारी, जिनकी नियुक्ति वर्ष 2007 में की गई थी, का विगत 8 वर्षों से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि नियुक्ति के पश्चात पांच वर्षों तक श्रीमती सुगन्धा कुमारी को नियमित वेतन आदि का भुगतान होता रहा था;

(ग) क्या यह सही है कि श्रीमती सुगन्धा कुमारी के लंबित वेतन का भुगतान करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, सचिव, शिक्षा विभाग, जिलाधिकारी, दरभंगा तथा विगत सत्र में माननीय शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बावजूद जिला शिक्षा अधीक्षक, दरभंगा, डी०पी०ओ०, दरभंगा और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अलीनगर के निहित स्वार्थों की वजह से उपर्युक्त शिक्षिका का वेतन भुगतान नहीं किया गया है जो अपने आप में एक अपराध के समान गंभीर मामला है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बताएगी कि श्रीमती सुगन्धा कुमारी का वेतन भुगतान कबतक कर दिया जाएगा तथा क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध ठोस विभागीय कार्रवाई की जायेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सेक्शन में अभाव

*65 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि —

(क) क्या यह सही है कि पटना के मदरसा शम्सुल होदा के जूनियर सेक्शन में मैट्रिक तथा सीनियर सेक्शन में एम०ए० तक की पढ़ाई होती है, जहां मदरसा के होस्टल में रहकर पढ़ने हेतु राज्य के विभिन्न हिस्सों से छात्र आते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इस मदरसा के जूनियर सेक्शन में एक भी शिक्षक के नहीं रहने से पिछले दो वर्षों से छात्रों का नामांकन बंद है तथा सीनियर सेक्शन में प्राचार्य को लेकर मात्र तीन शिक्षक के रहने से एम०ए० तक की समुचित पढ़ाई नहीं हो पा रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस मदरसा के जूनियर एवं सीनियर सेक्शन में शिक्षकों के अभाव को दूर कर इसके ऐतिहासिक शैक्षणिक महत्व को बरकरार रखना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अधिकार पर विचार

*66 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि —

(क) क्या यह सही है कि राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति करने का अधिकार नियोजन इकाई के सचिव को दे दिया गया है जिसके कारण शिक्षकों को चिकित्सा अवकाश लेने एवं चिकित्सा अवकाश की अवधि का वेतन भुगतान कराने में भयंकर कठिनाई हो रही है तथा भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चिकित्सा अवकाश पूर्व की तरह प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को ही स्वीकृत करने का अधिकार देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

स्पष्ट कराने पर विचार

*67 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि —

(क) क्या यह सही है कि सर गणेश दत्त सिंह ट्रस्ट फंड कोष का गठन किया गया था, जिसके तहत विज्ञान, तकनीकी और उद्योग संबंधी उच्च शिक्षा में अभिरूचि रखने वाले अध्ययनरत पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों की आर्थिक मदद करना और छात्रों द्वारा पुनः राशि वापस किया जाना था;

(ख) क्या यह सही है कि पूर्व में पीयू के अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा मदद ली गई, परन्तु राशि वापस नहीं की गई, जिसके कारण इसे बंद कर दिया गया;

(ग) क्या यह सही है कि यूनिवर्सिटी में प्रतिष्ठित सर गणेश दत्त स्कॉलरशिप शुरू करने की तैयारी चल रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सर गणेश दत्त सिंह ट्रस्ट फंड कोष से मदद लेने वाले पूर्व के पीयू अध्ययनरत विद्यार्थियों का नाम व विवरण सहित सदन के माध्यम से स्पष्ट कराने पर विचार करती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सुदृढिकरण का विचार

*68 मो. फारूक (विधान सभा):

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि —

(क) क्या यह सही है कि शिवहर नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत ट्रेनिंग स्कूल के पास स्थित बुनियादी विद्यालय का भवन खंडहर में तब्दील हो गया है एवं इस परिसर में बराबर जल जमाव रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय का निर्माण 1950 ई० में गांधीजी की

परिकल्पना पर हुई जहां चरखा चलाने एवं सूत काटने की कला सिखाई जाती थी परन्तु अभी इस विद्यालय की स्थिति दयनीय हो गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का भवन निर्माण एवं परिसर का सुदृढीकरण कराना चाहती है, ताकि यहां शिक्षा का वातावरण बन सके ?

अंकपत्र निर्गत कबतक

*69 डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि —

(क) क्या यह सही है कि एस.टी.ई.टी.-19 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अंक पत्र (स्कोर कार्ड सर्टिफिकेट) निर्गत कर दिया गया;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर अस्वीकारात्मक है, तो कबतक अंक पत्र निर्गत हो जाएगा?
